आदेश

11.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र कवास पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने एक वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम ढूंढा पटवार क्षेत्र कवास में स्थित खेत खसरा संख्या 1029/345 रकबा 0.18 बीघा व खसरा संख्या 1030/345 रकबा 14.16 बीघा के आये हुए है। प्रार्थीगण का कथन है कि वे नागालिग होने से अप्रार्थीगण के साथ रहते है। अप्रार्थीगण ने उनके साथ धोखा कर विवादित भूमि का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम निस्पादित करवा दिया। वादग्रस्त भूमि पैतृक होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगणके काश्त व कब्जे में अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें, के बारे में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रोके जाने का निवेदन किया।

प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई सबूत विद्यमान नही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में प्रार्थीगण के पक्ष में जारी करने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रकट नही होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner